गतिरोध

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। यानी खास क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना इस बोर्ड का काम है और अपने गठन से लेकर आज तक योजनाएं ही बना रहा है। बोर्ड की कई योजनाएं उदाहरण के तौर पर गिनाई जा सकती हैं, जिन्हें लागू कराने में यह विफल साबित हुआ है। शायद यही वजह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर इसका गठन हुआ था, वह कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा है।

हालात

योजनाएं बनाना एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का काम है लेकिन इन पर अमल कराने के लिए उसे इस क्षेत्र के राज्य सरकारों का मुंह देखना पड़ता है। बात चाहे दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की या हरियाणा की, किसी भी राज्य की सरकार एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेती। परिणाम यह है कि योजनाएं फाइलों में गुम हो जाती हैं और समस्याएं अपनी जगह पर बनी हुई है। यातायात, आवास, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली और एनसीआर के शहरों में भारी असमानता है।

मिले अधिकार

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के गठन का एक उद्देश्य यह भी था कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के कुछ इलाकों का विकास दिल्ली की तर्ज पर ही हो। ताकि लोग दिल्ली की तरह इन शहरों में आराम से और तमाम सुविधाओं के साथ रहें। ऐसा तभी संभव था जब उन्हें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाएं सही प्रकार से मिलतीं। ऐसा हुआ नहीं। ऐसा तभी होगा, जब संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और एनसीआर बोर्ड को कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा।

योजनाएं ही बना रहा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड

धीमी गति से चल रहा कार्य

एनसीआर की परियोजनाओं पर या तो काम नहीं हुआ या बेहद धीमी गति से चल रहा है। बोर्ड ने अब तक 277 परियोजनाओं के लिए 8704 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया , इसमें से 6464 करोड़ रुपये ही रिलीज किए गए। बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना दिल्ली-एनसीआर के शहरों में तेज गति की एलिवेटेड ट्रेनें चलाना है। आठ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। पहले तीन कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई जिसे पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। करीब 72 हजार करोड़ रुपये लागत वाली इन परियोजनाओं का संचालन करने के लिए एनसीआर परिवहन निगम बनाने का प्रस्ताव केंद्र कैबिनेट ने पिछले दिनों मंजूर कर दी है। यातायात बोझ कम करने के लिए दिल्ली के चारों ओर दो एक्सप्रेस-वे (ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल-वे) बनाने की योजना बनाई गई। इसमें से वेस्टर्न पेरीफेरल-वे पर काम शुरू भी हो गया। लेकिन इसका निर्माण कार्य पिछले साल ही पूरा होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। ईस्टर्न पेरीफेरल-वे पर तो काम भी शुरू नहीं हो पाया है।

दिल्ली-एनसीआर के शहरों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए बोर्ड की योजना थी कि इन शहरों में ट्रेड टैक्स समान रहे, लेकिन इस पर आज तक काम नहीं हुआ। दिल्ली में बिजली व्यवस्था खासी दुरुस्त है, वहीं एनसीआर के शहरों में घंटों बिजली गुल रहती है। राज्य सरकारें एनसीआर के लिए अलग से बिजली का इंतजाम नहीं करतीं। योजना बोर्ड ने रीजनल प्लान में व्यवस्था की थी कि दिल्ली-एनसीआर के लिए अलग से ग्रिड बनाया जाए और इससे एनसीआर की बिजली आपूर्ति पूरी की जाए। यह योजना आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई।

एनसीआर योजना बोर्ड की योजना दिल्ली के आनंद विहार व सरायकाले खां अंतरराज्यीय बस अड्डे को मल्टी मॉडल ट्रांजिट सेंटर बनाने की है। यह नवंबर 2009 में मंजूर हो चुकी है, लेकिन अब तक इन दोनों बस अड्डों पर काम नहीं हो पाया है। इन बस अड्डों से एनसीआर के शहरों के लिए बस सेवा संचालित की जाती है।

सोनीपत में जीटी रोड पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का निर्माणाधीन फ्लाइओवर।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ही सर्वेसर्वा

प्लानिंग बोर्ड के सर्वे- सर्वा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते है। एनसीआर क्षेत्र से जुड़े सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व दिल्ली के उपराज्यपाल सहित बिजली मंत्रालय व रेल मंत्रालय के अधिकारी भी इनके सदस्य होते हैं।

- एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल व डीजल का मूल्य एक समान करने की योजना है। अब तक लागू नहीं हुआ।
- पानी की भी समस्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगस्त 2007 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कहा था कि हरियाणा के रेणुका, किशाऊ व लखवर वयासी पर पानी भंडारण करने की दिशा में कार्य करें। इससे दिल्ली सहित एनसीआर में पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा। इन स्थानों को 12 मई, 1994 को चिन्हित किया जा चुका था। इसके एमओयू पर भी हस्ताक्षर हो चुके है लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है।

जनमत

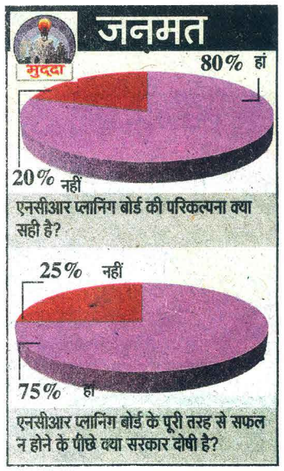

अवधारणा अच्छी, लेकिन लाभ नहीं

-आरजी गुप्ता
पूर्व सलाहकार (योजना) एनसीआर योजना बोर्ड

राजधानी दिल्ली पर आबादी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए एनसीआर का गठन किया गया था। इसकी अवधारणा बहुत अच्छी है, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इसका लाभ पूरी तरह न दिल्ली को मिला न एनसीआर के शहरों को। एनसीआर योजना बोर्ड योजनाएं तो बनाता है, लेकिन इन्हें कार्यान्वित नहीं करा पाता। राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से इन योजनाओं को सिरे नहीं चढ़ने देती। योजना बोर्ड की बैठकों में अकसर ऐसा देखने को मिलता है। राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में ही आपस में उलझ जाते हैं और योजनाओं को लागू करने से साफ तौर पर इन्कार कर देते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर योजनाएं अधूरी पड़ी हैं या शुरू ही नहीं हो पाई हैं। इस मामले में केंद्र सरकार को सख्ती बरतनी होगी और एनसीआर के शहरों की, योजनाओं को तीन हिस्सों में बांटना होगा। बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन एनसीआर योजना बोर्ड को सौंपना होगा।

मध्यम दर्जे की योजनाओं को राज्य सरकार व छोटी योजनाओं को स्थानीय निकाय एजेंसियों को सौंपना होगा। बड़ी योजनाओं का आशय सिविक कार्यों के लिए निगम बनाने से है। जिस तरह एनसीआर के शहरों के बीच रैपिड ट्रेन चलाने के लिए एनसीआर परिवहन निगम बनाया गया है। उसी तरह बिजली, पानी, सीवर, स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए अलग-अलग निगम बनाए जाएं और केंद्र इन परियोजनाओं के लिए 50 फीसद पैसा दे, जबकि 25 फीसद पैसा राज्य सरकार और 25 फीसद पैसा लाभ पाने वालों से वसूला जाए। इन योजनाओं को लागू करने में निजी क्षेत्र से भी सहयोग लेना चाहिए। इतना ही नहीं, योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की भी ठोस जरूरत है। हालात यह है कि एनसीआर योजना बोर्ड फिलहाल लोन देने वाली एजेंसी की भूमिका में है। राज्य सरकारें बोर्ड की योजनाओं को लागू करने के नाम पर सस्ती दर पर लोन लेता है। इससे कुछ योजनाओं पर काम जरूर हो रहा है, लेकिन योजना बोर्ड को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए खुद आगे आना होगा।

राज्य सरकारें ईमानदार हों : शीला

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से संबंधित योजनाओं के लिए अब तक सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार ने दिया। अन्य राज्यों की भागीदारी सीमित रही। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली द्वारा पैसा देने के बावजूद योजनाओं पर काम नहीं हो पाता। इस्टर्न व वेस्टर्न पेरीफेरल-वे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बोर्ड की योजनाएं तभी कारगर होंगी, जब सभी संबंधित सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे।

-शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली

कुल क्षेत्रफल	33578 वर्ग किमी
उत्तर प्रदेश में	10853 वर्ग किमी
हरियाणा में	13413 वर्ग किमी
राजस्थान में	7829 वर्ग किमी
दिल्ली में	1483 वर्ग किमी